

राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण - पत्र

क्रमांक 99/1965-66

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री. जैन श्वेताम्बर स्थानवासी शिक्षा समिति, जयपुर जिला जयपुर का पंजीयन, राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 & राजस्थान अधिनियम नं० 20, 1958 के अन्तर्गत दिनांक दोस्त दिसम्बर, सन् उन्नीस सौ पैंसठ को किया गया था।

अब संस्था का नाम श्री जैन श्वेताम्बर स्थानवासी शिक्षा समिति जयपुर से श्री श्वेताम्बर स्थानवासी जैन सुबोध शिक्षा समिति, जयपुर परिवर्तित कर दिया गया है।

यह परिवर्तन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अन्तर्गत आज दिनांक चार ^{फरवरी} ~~जुलाई~~, उन्नीस सौ बयासी को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय सील से जयपुर में किया गया।



। के० सी० भागीव ।
रजिस्ट्रार । संस्थाएं
राजस्थान, जयपुर

[Handwritten signature]
रजिस्ट्रार
राजस्थान, जयपुर

अवे० मंत्री
एच० एच० जैन सुबोध शिक्षा समिति
जयपुर

Principal
SUBODH PUBLIC SCHOOL
Near Airport, Sanganeer,
JAIPUR-302011

Principal
SUBODH PUBLIC SCHOOL
Near Airport, Sanganeer,
JAIPUR-302011

[Handwritten signature]
अवे० मंत्री
एच० एच० जैन सुबोध शिक्षा समिति
जयपुर

[Handwritten signature]
अवे० मंत्री
एच० एच० जैन सुबोध शिक्षा समिति, जयपुर